राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 47/2014

दूलीचन्द पुत्र श्री धन्नालाल जाति मेहर निवासी मूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां
–वादी

बनाम

1. रामकिशन पुत्र
2. जगदीश पुत्र
3. महावीर पुत्र
4. गायत्री बाई पुत्री
5. कंवरी बाई बेवा

} भंवरलाल जाति मेहर निवासीगण भोज्याहेडी तहसील मांगरोल

6. बिरधीलाल पुत्र श्री तुलसीराम जाति मेहर निवासी भोज्याहेडी तहसील मांगरोल जिला बारां
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

–प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, व धारा 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री अमित कुमार गौड,

वकील प्रतिवादीगण : श्री विकास पोरवाल, श्री महेन्द्र सिंह हाडा

निर्णय दिनांक : 17.05.2018

दायरा दिनांक: 23.04.2014

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 तक में खाता संख्या 103 खसरा नं0 61 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 299 रकबा 1.39 है0, खसरा नं0 310 रकबा 0.58 है0, खसरा नं0 356 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 376 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 397 रकबा 0.70 है0 कुल किता 6 रकबा 3.30 है0 ग्राम भोज्याहेडी में दर्ज हो रही है। जिसमें प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी नं0 6 का हिस्सा 1/2 दर्ज हो रहा है।

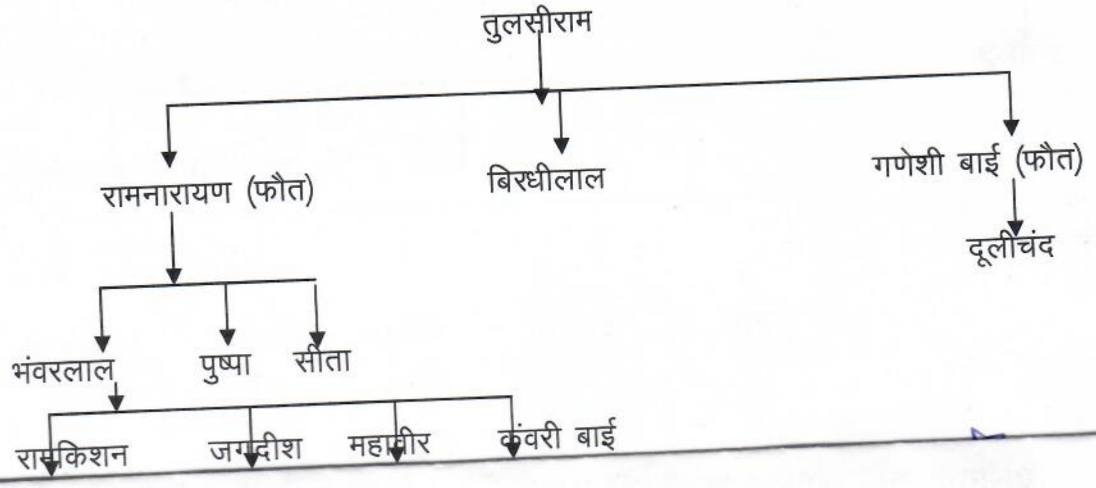

ाने सेटलमेंट उपरोक्त वर्णित खातें में से गणेशी बाई का नाम हटा दिया गया जबकि गणेशी बाई र्णित आराजियात में 1/3 की खातेदार थी। तथा उसकी मृत्यु के बाद उक्त 1/3 हिस्से का वादी ही अधिकारी था इसलिए वादी सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा की गयी लापरवाही व त्रुटी को सही करवाकर वर्णित आराजी में से 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त वर्णित आराजी में वादी का नाम 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाकर बतौर खातेदार घोषित किया जावें। तथा वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण एक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वादी के हिस्से की आराजी उक्त वर्णित 1/3 हिस्से पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे और नही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 23.04.2014 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 की और से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह हाडा ने वकालत नामा पेश किया व प्रतिवादी क्रम 6 की ओर से अधिवक्ता श्री विकास पोरवाल में वकालत नामा प्रस्तुत किया। वादी ने वादपत्र के कथन को ही अंतिम बहस बताया है। किन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 की और से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया। बावजूद सूचना प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 आज दिनांक तक अनुपस्थित होने से प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर एक्स पार्टी घोषित किया गया। प्रतिवादी क्रम 7 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है ने दिनांक 17.05.2018 को उपस्थित होकर अपनी जांच रिपोर्ट प्रेषित की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी रिपोर्ट में निम्न प्रकार संजरा अंकित किया है:–

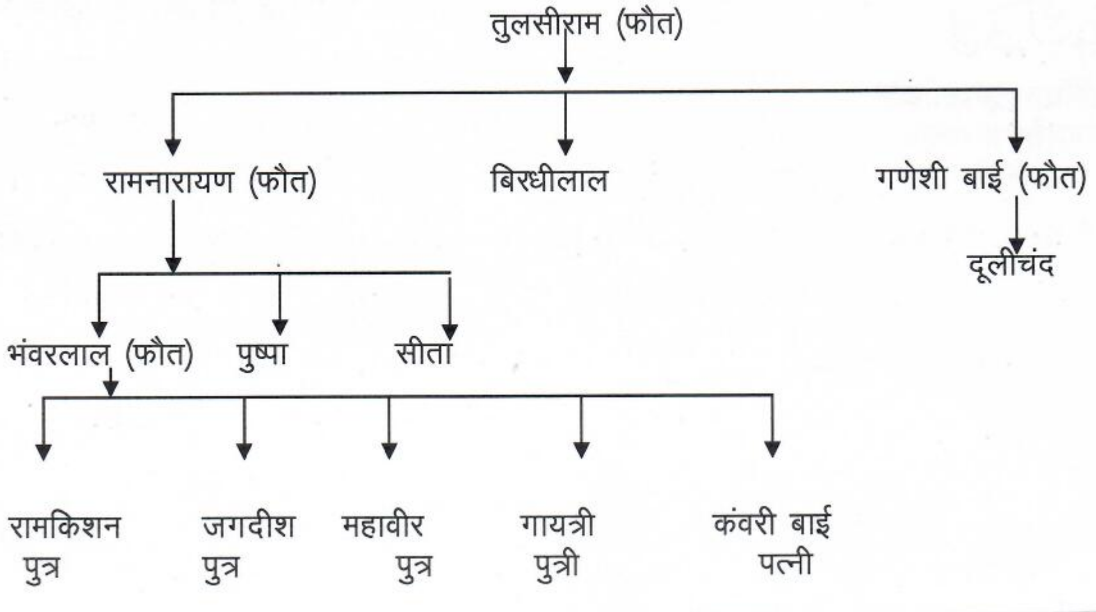

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार मांगरोल जो कि लैण्ड ल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है द्वारा प्रस्तुत सजरे का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि ग्राम भोज्याहेडी की राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 तक में खाता संख्या 103 खसरा नं0 61 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 299 रकबा 1.39 है0, खसरा नं0 310 रकबा 0.58 है0, खसरा नं0 356 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 376 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 397 रकबा 0.70 है0 कुल किता 6 रकबा 3.30 है0 आराजी में वादी दूलीचन्द पुत्र श्री धन्नालाल जाति मेहर निवासी मूण्डला का हिस्सा 1/3 का वैध अधिकारी है। अतः प्रस्तुत वाद पत्र व तहसीलदार मांगराल द्वारा प्रस्तुत सजरे के आधार पर मूल पितृ पुरूष तुलसीराम मेहर के वारिसान कमशः रामनारायण (फौत) वारिसान भंवरलाल पुष्पा, सीता को भंवरलाल फौत होने से रामकिशन, जगदीश, महावीर (पुत्र) गायत्री (पुत्री) कंवरी बाई बेवा भंवरलाल का हाल रेकार्डेड हिस्सा 1/2 हजफ करके हि0 1/3 व बिरधीलाल पुत्र तुलसीराम का हाल रेकार्डेड हिस्सा 1/2 हजफ करके हिस्सा 1/3 घोषित किया जाता है, एवं मूल वादी दुलीचंद पुत्र धन्नालाल मेहर(जो तुलसीराम की पुत्र गणेशी बाई जो फौत हो चुकी है, का विधिक वारिस है) को ग्राम भोज्याहेडी की आराजी खाता संख्या 103 किता 6 रकबा 3.30 है0 में हिस्सा 1/3 का खातेदार घोषित किया जाता है तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प जलोदा तेजाजी मजमेंआम में सुनाया गया।